न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुकीदेवी पत्नि मानाराम जाति मेघवाल निवासी डाडोकी तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. उका पुत्र भूताजी 2. अमरा 3. उदा पिसरान दौलाजी 4. आला वल्द जगाजी दत्तक पुत्र दरगाजी 5. काली पुत्री दरगाजी 6. वदी पुत्री दरगाजी 7. खेताराम 8. मेगाराम 9. रावताराम पिसरान उकाराम 10. लवगोदेवी पत्नि स्व0 उकाराम 11. सुकी 12. मफी पुत्रीयान उकाराम 13. हरका दत्तक पुत्र हीराजी तमाम जातियान कलबी साकिन डाडोकी तहसील रानीवाडा 14. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़।
4. अप्रार्थी संख्या 14 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक – 16.01.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा डाडोकी तहसील रानीवाडा में प्रार्थीया की आराजी नवीन खसरा नम्बर 13 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 618/10 रकबा 1.55 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी में आवागमन करने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 10 में से 0.06 हैक्टेयर आराजी पडौसी खसरा नम्बर 632/7, खसरा नम्बर 634/75, में से आराजी रास्ते हेतु समर्पित करने पर नवीन खसरा नम्बर 617/10, 631/7, 633/75 राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज की जा चूकी है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 633/75 से खसरा नम्बर 4, 3, 2 में होते हुए रेकर्डेड आम रास्ता खसरा नम्बर 290 तक आने में [illegible] की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थीया के अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की आराजी [illegible] खसरा नम्बर 13, 618/10 आराजी में आवागमन हेतु रास्ता दिलवाया जाकर न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। प्रार्थीया हमारी आराजी में आने जाने हेतु 15 फीट का रास्ता प्राप्त करना चाहती है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर अनुसार उक्त आराजी के खातेदारान को प्रतिकर देने हेतु तत्पर है।

प्रार्थीया को आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजी में कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य आवागमन के साधन लाने ले जाने में भारी बाधा पैदा हो रही हैं तथा प्रार्थीया अपनी उक्त आराजी में काश्त करने से भी महरूम हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि सरहद मौजा डाडोकी तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीया की आराजी नवीन खसरा नम्बर 13 रकबा 0.85 हैक्टेयर में आवागमन हेतु रास्ता दिलवाने के लिये भूमिधारी तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवा कर प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर रास्ता दिलवाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रानीवाडा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया सुकी देवी पत्नि मानाराम जाति मेघवाल निवासी डाडोकी मौजा डाडोकी के खसरा नम्बर 13, 618/10 रकबा क्रमश 0.85, 1.55 हेक्टेयर की खातेदार है। उक्त खसरे में पंहुचने हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है एवं इन्हे मार्ग की अति आवश्कता है। उपरोक्त खसरान तक आवागमन हेतु नजदीकतम सरकारी रेकर्ड रास्ता ख.न. 290 है, जो मौके पर पक्की डामर सडक के रूप है। उक्त खसरा नम्बर 13, 618/10 में प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा नम्बर 617/10, 631/7, 633/75, 4, 3, 2 है। जिनमें से ख.न. 617/10, 631/7, 633/75 की भूमि इनके खतेदारान ने सार्वजनिक रास्ते हेतु राजहक में समर्पित कर दी है तथा रेकर्ड में भी सरकारी खाते में दर्ज हो चूकी है। उक्त खसरा नम्बर 4, 3, 2 में लम्बाई क्रमश 64, 70, 84 मीटर व चौडाई 5 मीटर कुल क्षेत्रफल 1090 वर्गमीटर है। इनकी वर्तमान डी.एल.सी. उर 239463/– प्रति हैक्टेयर है। कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 52203 बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष, पहाड, नाडी व केचमेन्ट ऐरिया आदि में नही है।

3. प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट अनुसार पक्षकार संयोजित कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की ओर से अधिवक्ताओ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। व जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 से 13 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आराजी मौजा डाडोकी के नवीन खसरा नम्बर 13, 618/10 आई हुई है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जवाब देहन्दा अप्रार्थी संख्या 2 से 13 ने अपनी खातेदारी आराजी मौजा डाडोकी के नवीन खसरा नम्बर 3 व 4 में से आवागमन हेतु रास्ता के लिए आराजी राज हक में समर्पित करवा दी है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 से 13 को खसरा नम्बर 3 व 4 की आराजी बाबत किसी भी प्रकार के मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। इसलिये प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र माफिक खसरा नम्बर 2 की आराजी में से रास्ता प्रार्थीया को दिया जाना उचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या की आराजी खसरा नम्बर 2 में से प्रार्थीया की आराजी में आवागमन हेतु रास्ता दिलवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

5. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.01.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत पेश किया गया। जिस पर प्रार्थीया अधिवक्ता की ओर से जवाब नहीं देने पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 04.02.2021 अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मंगवाने का न्यायहित में स्वीकार तहसीलदार रानीवाडा से अप्रार्थी के उजर ऐतराज व पूर्व मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।
6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा हल्का पटवारी से जांच करवाई जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 पेश की गई। जिनके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुकीदेवी पत्नि मानाराम मेघवाल साकिन डाडोकी के ख.न. 13 रकबा 0.85 हैक्टेयर व ख.न. 618/10 रकबा 1.55 हैक्टेयर की खातेदार है उक्त आराजी पर पहुचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सरकारी रास्ता ख.न. 290 निकलता है। जो मौके पर पक्की डामर सडक के रूप में है। प्रार्थीया उकाराम वगैराह ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया सुकीदेवी के ख.न. 13, 618/10 के आवागमन हेतू वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना बताया गया है। लेकिन मौका स्थिति अनुसार जो रास्ता चल रहा है वो रिकॉर्ड में गै.मू. नाला दर्ज है। और ग्रेवल मुरडा डाला हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता जो ख.न. 2 में जिस स्थान से होकर गुजरना प्रस्तावित है। वहां वर्तमान मौका स्थिति अनुसार ख.न. 290 के सहारे ख.न. 02 में पक्की दिवाई बनाई हुई है। ख0न0 02 में टीनशेड बना हुआ है।
7. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर बाद सुनवाई तथ्य सामने आया कि द्वितीय रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवाई गई है। प्रकरण में स्वीकार्य है कि धारा 251 ए के तहत जांचकर्त्ता अधिकारी भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न स्तर का नही होना चाहिये। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 30.06.2022 से प्राप्त जांच पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि हल्का पटवारी से तैयार जांच रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 में वर्णित वैकल्पिक रास्ते के रूप गै.मू. नाला है। जिस पर ग्रेवल मुरडा डाला हुआ होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुनकर अप्रार्थी संख्या 1 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व पूर्व मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तहसीलदार रानीवाडा स्वयं से पून मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।
8. तहसीलदार रानीवाडा स्वयं द्वारा दिनांक 05.08.2022 को मौका देखकर रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 को न्यायालय हाजा में पेश की जिनके संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया व उनका परिवार वर्तमान में आवागमन हेतु जिस रास्ते का उपयोग कर रहे है वो नजरी नक्शे में ABCDEF अनुसार दर्शाया गया है। बिन्दु A से C तक मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा आगे पैदल रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 618/10 में आवागमन हेतु ग्राम चिरपटीया के खसरा नम्बर 449 रकबा 1.44 हैक्टेयर किस्म गै.मू. नाला (मौके पर ग्रेवल रोड़) तक पहुँच हेतु नजरी नक्शे में GHIJ अनुसार दर्शाया गया है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 618/10 में आवागमन हेतु ग्राम डाडोकी के खसरा नम्बर 290 (डामर सड़क) तक पहुँच हेतु नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार 494 मीटर लम्बाई का रास्ते हेतु राज हक में समर्पण किया गया था। जिसके खसरा नम्बर 617/10, 631/7, 633/75, 670/4 व 668/2 है जो नजरी नक्शे में KL अनुसार दर्शाया गया जिसकी किस्म गै.मू. रास्ता है लेकिन किसी भी रास्ते को लिंक नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते में अवरोध रूप में डामर सड़क पर एक पक्की पत्थर से निर्मित पूरानी दिवार तथा नक्शे में दर्शाये अनुसार पक्का मकान बना हुआ है।बिन्दु K से L की दूरी 494 मीटर है जो गै0मू0 रास्ते के रूप में राज हक में समर्पण की हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रास्ता किसी अन्य रास्ते को लिंक नहीं करता है। तथा L से M की दूरी 84 मीटर है।

9. अप्रार्थी सख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा डाडोकी के खसरा नंबर 13 रकबा 0.85 हे., खसरा नंबर 618/10 रकबा 1.55 हे. की आराजी वादी की अवश्य आई हुई हैं, मगर मोके पर प्रार्थी द्वारा मांग किये गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता मौजुद हैं। प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार ने खसरा नम्बर 632/7 व खसरा नम्बर 634/75 में से रास्ते की आराजी का समर्पण दूरभिसिन्धी के चलते किया हैं तथा अप्रार्थी उका की आराजी में से रास्ता लेने की पूर्व योजना के चलते प्रार्थी ने अपने पड़ौसी खातेदारों से रास्ते हेतु आराजी सरेण्डर करवाई गयी हैं। जबकि आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धारा 251 ए 2(1) आर.टी.एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया हैं कि "नये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होनी चाहिए तथा यह रास्ता जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो तथा वैकल्पिक साधन का बिल्कुल अभाव हो।" ऐसी स्थिति में ही नये रास्ते को दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उक्त अनवान प्रकरण हल्का आर.आई. मालवाड़ा द्वारा एक जांच रिपोर्ट दिनांक 19.08.2020 पेश हुई, उक्त जांच रिपोर्ट में मौके की स्थिति के संबंध में कई तथ्य मौन होने के कारण अप्रार्थी उका ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र बाबत निष्पक्ष मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु दिनांक 28.01.2021 का पेश किया है। उक्त अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की मौका रिपोर्ट तैयार की गई, दिनांक 26.07.2021 की हल्का पटवारी आखराड़ की रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 2 में वर्णित किया गया हैं कि "अप्रार्थी उकाराम ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी सुकी देवी के खसरा नंबर 13,618/10 के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना बताया गया हैं लेकिन मौका स्थिति अनुसार जो रास्ता चल रहा हैं रिकोर्ड अनुसार गै.मु.नाला दर्ज हैं और ग्रेवल मुरड़ा डाला हुआ हैं।" उक्त बिन्दू संख्या 2 हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित हैं कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता चालू हैं, मगर वह रास्ता राजस्व रेकर्ड में गै.मु. नाला दर्ज हैं तथा उक्त गै.मु.नाला के वैकल्पिक रास्ता पर ग्रेवल मुरड़ा भी डाला हुआ हैं। उक्त रास्ते पर ग्रेवल मुरड़ा सरकारी खर्च से डाला गया हैं तथा उक्त ग्रेवल रास्ता पर ग्राम का हर आम व खास व्यक्ति चलता हैं। हल्का पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में नक्शा भी संलग्न किया हैं, जो नाला में दर्ज हैं तथा रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा हैं। प्रार्थी जिस रास्ता को वर्तमान में उपयोग व उपभोग कर रहा हैं वह रास्ता मात्र रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी दूसरा रास्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता हैं। हल्का पटवारी की दिनांक 26.07.2021 की रिपोर्ट से यह साबित हो जाता हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थी उका को तंग व परेशान करने के लिए अप्रार्थी उका के अलावा अन्य अप्रार्थी संख्या 2 तथा 3 के साथ दुरभी संधि के चलते उका की आराजी में से रास्ता मांगा हैं तथा दूरभि संधि के चलते प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार खसरा नंबर 636/632 से माठ पर रास्ता राज हक में सरेण्डर करवा लिया तथा आगे से आगे अन्य खातेदारों ने भी दुरभि संधि के चलते रास्ते को राजहक में सरेण्डर करवाया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही से कानून का दबाव बनाकर उका से जबरन रास्ता लेने की फिराक में है, जबकि इस प्रकार की समस्त कार्यवाही वैकल्पिक रास्ता चालू रहने के बाद भी अपने सुविधाजनक उपयोग व उपभोग के लिए राजस्व रेकर्ड का रास्ता की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में वाद हेतुक प्रकट नहीं होने पर प्रार्थना पत्र बिना वाद हेतुक काबिल खारीज है।

जहां वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद हो, ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत नया रास्ता देने पर विचार नहीं किया जा सकता हैं तथा वैकल्पिक रास्ता की मौजुदगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

में नये रास्ते के लिए वाद हेतुक प्रकट नहीं होता हैं। दिनांक 05.08.2022 को श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष एक मौका रिपोर्ट पटवारी आखराड़ व तहसीलदारजी रानीवाड़ा द्वारा पेश की गई, जिसमें पैरा संख्या 1 में स्पष्ट वर्णित किया गया हैं कि आवागमन के लिए रास्ते का उपयोग किया जा रहा हैं तथा रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 के पैरा संख्या 2 में भी मौके पर ग्रेवल रोड़ से आवागमन किया जा रहा है तथा इसी रिपोर्ट में पैरा संख्या 4 में चाहे गये प्रार्थी के रास्ते पर पुरानी दिवार बनी हुई हैं तथा पक्का मकान बना हुआ हैं, जबकि पूर्व की मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को छुपाया गया हैं तथा दिनांक 05.08.2022 की रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 के बिन्दू के आधार पर भी प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 की बिन्दू संख्या 5 व वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 13 की दूरभिसंधि साबित करता हैं। मौके पर हल्का पटवारी व तहसीलदारजी की रिपोर्ट से कुल दो स्थानों से वैकल्पिक रास्ता होना बताया गया है।

दिनांक 13.10.2020 को एक मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में जो प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में नीचे की चार लाईनों में न्यायालय को भड़कने वाले कथन लिखे हैं तथा नीचे से दूसरी व तीसरी लाईन को बीच में डालना तथा बाद में लिखना स्पष्ट रूप से दर्शित हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 में मौके पर नींव खोदकर भरी होना बताया गया है, जबकि जुन 2020 के समय में ही कार्य पूर्ण करवा लिया था तथा अप्रार्थी उका को जब न्यायालय में धारा 251 'क' आर.टी.एक्त का नोटिस प्राप्त हुआ उससे पूर्व ही अप्रार्थी उका का काम पूरा हो चुका था। उक्त कार्य को जून में करने बाबत अप्रार्थी उका ने प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में 2 जुन 2020 के कुल 2 बिल न्यायालय हाजा में बतौर सबूत पेशकर रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के आगे सड़क के लगतो लगत 15 वर्ष पूर्व पक्की दीवार निकाली हुई है, उसका जिक्र भी मौका रिपोर्ट में नहीं हैं। प्रार्थीया के पति की शामलाती खातेदारी आराजी खसरा नंबर 15, 14 व 30 आई हुई है। उक्त आराजी में आवागमन का मौके पर रास्ता आया हुआ है, मगर उक्त मौके पर स्थित रास्ता को प्रार्थीया ने छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं तथा मौके पर पड़ौसी खातेदार अपना पति होना भी छुपाया गया है। प्रार्थीया व प्रार्थीया का पति शामलाती रहवास करते हैं तथा दोनों एक ही रास्ता से आवागमन करते हैं। जिसका वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद हैं। प्रार्थीया ने अप्रार्थी उका से रंजिश रखते हुए उका के निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाने के उद्येश्य के चलते उक्त स्थान से रास्ते की मांग की हैं तथा कानून की आड़ लेकर मौके पर उका को क्षति कारित करना चाहती हैं तथा पूर्व योजना के चलते प्रार्थीया ने पड़ौसी खातेदारों से मिलकर रास्ता हक में करवाया हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 13, 618/10 में आवागमन हेतु नजदीकतम दूरी खसरा नम्बर खसरा 4, 3, 2 में से रास्ता दिये जाने का न्यायहित में आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

11. हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र [illegible] अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन [illegible] किया। तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 26.08.2020 20.06.2022 [illegible] 05.08.2022 का गहनता से अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

किया करने पर पाया गया कि प्रार्थीया की आराजी मौजा डाडोकी में खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 0.85 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 618/10 रकबा 1.55 हेक्टेयर में प्रार्थीया द्वारा आवागमन हेतु मौजा डाडोकी के खसरा नम्बर 290 (डामर सड़क) तक रास्ता चाहा गया है जिसमें खसरा नम्बर 617/10, 631/7, 633/75, 670/4 व 668/3 में से 494 मीटर रास्ता समर्पण किया जा चूका है। जो किसी रास्ते को लिंग नहीं करता है। व इस रास्ते को लिंग करने पर बीच में अवरोध मुख्य सड़क पर एक पक्की पत्थर से निर्मित पूरानी दीवार तथा पक्का मकान बना हुआ है। लेकिन तहसीलदार रानीवाडा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 में बताया कि प्रार्थीया के आवागमन हेतु मौजा चिरपटीया के खसरा नम्बर 449 रकबा 1.44 हैक्टेयर किस्म गै.मू. नाला (मौके पर ग्रेवल रोड़) है। जो नजरी नक्शा बिन्दु संख्या G, H, I, J तक कुल 344 मीटर लम्बाई का लाल स्याही से दर्शाया गया है। तथा प्रार्थीया वर्तमान में मौजा डाडोकी के खसरा नम्बर 609/594, 70, 8, 636/632 मे से नजरी नक्शा में वर्णित बिन्दु संख्या A से F तक लाल स्याही से दर्शित रास्ते का उपयोग कर रहे है। जिसमें बिन्दु A से C सी तक मौके पर रास्ता बना हुआ है। व आगे पैदल रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए 2 (। व ।।) के अनुसार "यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैः और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया " ऐसी स्थिति में ही नये रास्ते को दिया जा सकता है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क G से J तक 344 मीटर लम्बाई का वैकल्पिक रास्ता जो मौके पर ग्रेवल रोड़ होना बताया गया है। व वर्तमान में प्रार्थीया द्वारा वर्तमान में उपयोग में लिया जाने वाला रास्ता भी नजरी नक्शा मे मार्क A से F तक है। जिसमें मार्क A से C तक रास्ता बना हुआ है।

उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीया की आराजी मौजा डाडोकी के खसरा नम्बर 13 व 618/10 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

—: आदेश :—

12. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वैकल्पिक रास्ता होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर